का
तामीलमेंजारीहुए

24/1/19	वकील प्रार्थी उप० पूर्वोक्त तलबी की आज्ञा। पत्रावली दिनांक 5/3/19 को पेश हो।
5/3/19	वकील प्रार्थी उप०। अप्रार्थी बावजूद तामील उपस्थित नहीं आये हैं लिहाजा इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए जाते हैं। पत्रावली वास्ते बहस दि० 16/4/19 को पेश हो।
16/4/19	वकील प्रार्थी उप०। बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दि० 24/4/19 को पेश हो।
24/4/19	वकील प्रार्थी उप०। प्रार्थनापत्र स्वीकार किया गया है। निर्णय पृथक से लिखकर शामिल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो कर शामिल दफ्तर हो।

Scanned by CamScanner

न्यायालय उप जिला कलक्टर सपोटरा जिला करौली

पीठासीन अधिकारी- श्रीमती [illegible] आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी सपोटरा

मु.नं.	वाद पत्र	ता.दायरा	ता.निर्णय
40/18	अस्थायी निषेधाज्ञा	14.11.18	24.04.19

रामधन पुत्र श्री फेलू जाति मीना निवासी शेखपुरा तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान।

—प्रार्थी

बनाम

केशव पुत्र पृथ्वीराज जाति मीना निवासी शेखपुरा तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान।

—अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

उपस्थित- श्री कमलपाल मीना वकील प्रार्थी।

संक्षेप में प्रार्थना पत्र प्रार्थी के तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने वाद पत्र के साथ एक प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर कथन किया है कि मुझ प्रार्थी के पिता फेलू पुत्र भोरया मीना के नाम की खातेदारी की आराजी खसरा नं0 659 रकबा 05 बीघा वाके ग्राम शेखपुरा पटवार हलका कानरौता तहसील सपोटरा जिला करौली मे स्थित है जिसकी सबूतन नकल जमाबंदी व कब्जा रिपोर्ट व आवंटित (अलोटमेंट) नक्शा सम्वत् 2042 वर्ष 1985–86, सम्वत् 2043 वर्ष 1986787, सम्वत् 2068 सम्वत् 2074 वर्ष 2017 मिलान क्षेत्रफल व अलॉटमेंट नक्शा दिनांक 14.01.1983 प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। मुझ प्रार्थी के पिता फेलू पुत्र भोरया मीना भूमिहीन होने के कारण उक्त आराजी को राजस्व अभियान दिनांक 14.01.1983 को उक्त भूमि प्रार्थी के पिता फेलू पुत्र भोरया मीना के नाम आवंटित की गई थी। प्रार्थी के पिता उक्त आवंटित भूमि पर सन् 1970 से ही कब्जा काश्त है और हमउ क्त आराजी पर पीढी दर पीढी कब्जा काश्त करते चले आ रहे है। प्रार्थी के पिता दिनांक 10.04.1992 को फोत हो चुके है। प्रार्थी के पिता के फोत होने के उपरान्त उक्त आराजी पर प्रार्थी बिना कोई रोक टोक के काबिज काश्त होकर फसल काश्त का लाभ लेता चला आ रहा है। । हर आये दिन अप्रार्थी उक्त आराजी की फसल काश्त मे बाधा रूकावट डालता रहता है व फसल काश्त को नष्ट करने व उक्त आराजी पर जबरन लट्ठ के बल अतिक्रमण करने की धमकी देता है। दिनांक 22.10.18 को अप्रार्थी मुझ प्रार्थी की उक्त आराजी पर गया और जाते ही फसल काश्त को नष्ट करने लग गया और एलानिया धमकी देकर कहने लगा कि मै तेरी उक्त फसल को नष्ट करके तेरी उक्त आराजी पर जबरन लट्ठ के बल पर अतिक्रमण करूंगा मुझ प्रार्थी ने हाथ जोड़कर ऐसा करने को मना किया तो अप्रार्थी झगड़ा फिसाद करने पर आमादा हो गये और कहने लगा कि उक्त आराजी पर मै अतिक्रमण करके रहूँगा। इसलिए प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर अप्रार्थीयान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीयान जरिये नोटिस की गई। अप्रार्थी बावजूद तामील उपस्थित न्यायालय नही आये इसलिए इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किये गये।

बहस वकील प्रार्थी एक पक्षीय सुनी गई तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात फोटो प्रति आवंटन पट्टा,

Scanned by CamScanner

खसरा परिवर्तनशील पी 14 की फोटोप्रति, मिलान क्षेत्रफल एवं जमाबंदी संबत् 2072–75 ग्राम शेखपुरा के मुताबिक के पिता फैलू पूत्र भोरया जाति मीना निवासी शेखपुरा को विवादित आराजी राजस्व अभियान 1983 मे आवंटित हुई थी। जिससे अप्रार्थीगण का कोई सम्बन्ध नही है। अप्रार्थी ने उपस्थित न्यायालय आकर ना तो कोई अपना जवाब पेश किया है और ना ही कोई साक्ष्य सबूत पेश किये है। इसलिए प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष मे साबित है तथा सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति भी प्रार्थी के पक्ष मे साबित है। इसलिए प्रार्थी अप्रार्थी को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी को ताफैसला दावा जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि प्रार्थी के पिता फैलू पिता भोरया को आवंटित भूमि 659 रकबा 05 बीघा भूमि के कब्जे काश्त के मौके की यथा स्थिति बनाये रखे। निर्णय आज दिनांक 24.04.2019 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा शामिल दावा रहे।

(तारामती वैष्णव आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी
सपोटरा जिला करौली

Scanned by CamScanner